135
2

<u>कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर</u>

क्रमांक: व-15(42)पुलिस-प्रशासन-बी/95-99/506 दिनांक: 3 मई, 1999

<u>स्थाई-आदेश संख्या -3/99</u>

पुलिस विभाग में अनुशासन, परिकुशलता एवं शारीरिक उपयुक्तता के आदर्श मापदण्ड बनाये रखने के लिये पी.टी. एवं परेड़ निर्धारित नियमों के अनुरूप विधिवत रूप से करवाये जाने का प्रावधान है । पी.टी. एवं परेड़ से जहाँ एक ओर शरीर को सक्षम एवं चुस्त बनाये रखने में सहायता मिलती है वहीं दूसरी ओर इसकी अवहेलना से अनुशासन एवं कार्यदक्षता पर प्रतिकूल असर पड़ता है । इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये उक्त प्रयोजनार्थ पूर्व में पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या प-11(2)प्रशिक्षण/विविध/86/222-300 दिनांक 8-1-86 (1/86) व स्थाई आदेश संख्या व-15(42)पुलिस-प्रशासन/ए/90/126 दिनांक 25-1-91(2/91) द्वारा पुलिस लाईन एवं विभिन्न यूनिटों में तैनात पुलिस कर्मियों के पी.टी. परेड़ के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे । परन्तु गत दिनों में यह पाया गया है कि इन आदेशों की पालना सही ढंग से नहीं हो रही है जिसके फलस्वरूप अनुशासन पर विपरीत असर पड़ा है तथा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की शारीरिक दक्षता में गिरावट आयी है । विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्यों ने भी पूर्व में इस ओर ध्यान आकर्षित कर टिप्पणी की थी कि पुलिस कर्मियों द्वारा नियमित व्यायाम एवं परेड़ के अभाव में उनके शारीरिक वजन तथा मोटापे में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप उनकी शारीरिक कार्य क्षमता एवं परिकुशलता में भी कमी आ रही है ।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये पूर्व में जारी स्थाई आदेश संख्या 1/86 एवं 2/91 के अतिक्रमण में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते है:-

1- प्रत्येक जिला पुलिस लाईन/आर.ए.सी. यूनिट/कम्पनी पोस्ट पर गुरूवार को छोड़कर सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में परेड़ एवं पी.टी. नियमित रूप से आयोजित की जावे। सोमवार एवं शुक्रवार को जिला मुख्यालय के पुलिस कार्यालय/पुलिस थानों / चौकी/ यूनिट पोस्ट पर कार्यरत सभी पुलिस कर्मी नियमित रूप से पी.टी. परेड़ में सम्मिलित होंगे ।

2- पुलिस लाईन में तैनात जाप्ता गुरूवार को छोड़कर प्रतिदिन पी.टी. परेड़ में सम्मिलित होगा जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित रक्षित निरीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक [मुख्यालय]/ यूनिट एडज्यूटेंट की होगी ।

3- जिला मुख्यालय पर तैनात सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक तथा समस्त वृताधिकारी/ अपर पुलिस अधीक्षक सोमवार एवं शुक्रवार को पुलिस लाईन में आयोजित परेड़ में सम्मिलित होंगे । निःसन्देह पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेन्ट स्वयं प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को होने वाली परेड़ की सलामी लेंगे । पी. टी. एवं परेड़ में जो कर्मी बिना उचित कारण सम्मिलित नहीं होते है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे । रेंज मुख्यालय की पुलिस लाईन में सम्बन्धित रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस प्रत्येक सोमवार-शुक्रवार को परेड़ की सलामी लेंगे । उक्त दिनों में रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक के रेंज मुख्यालय से बाहर के जिला मुख्यालय के दौरे पर होने पर वह वहाँ के जिले की पुलिस लाईन में सोमवार-शुक्रवार को परेड़ की सलामी लेंगे ।

4- प्रत्येक वृताधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अपने मुख्यालय पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों की प्रत्येक सोमवार-शुक्रवार को परेड़ लेना सुनिश्चित करेंगें व इस बात का इन्द्राज सम्बन्धित थाना के रोजनामचे में भी करेंगें । प्रत्येक वृत्ताधिकारी अपने वृत के थानों के पी.टी. परेड़ की सूचना उसी दिन जिला मुख्यालय पर प्रेषित करेंगे व जो पुलिस कर्मी पी.टी. परेड़ में अनुपस्थित रहते है उनके विरूद्ध अपने स्तर पर कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे ।

5- यदि सोमवार-शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट/अपर पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होकर भ्रमण पर है, तो वह उस दिन सम्बन्धित थाना/कम्पनी पोस्ट जहाँ उनका मुख्यालय है, वहाँ की पी.टी. परेड़ में सम्मिलित होंगे ।

6- उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक जब भी अपने रेंज/जिले में दौरे पर जाये तो वो स्वयं यह देखेंगे कि उपरोक्त आदेशों की पालना अक्षरशः हो रही है ।

समस्त रेंज उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट्स से अपेक्षा की जाती है कि वे पी.टी. परेड़ के सम्बन्ध में प्रसारित उपरोक्त निर्देशों की पूर्णतया व दृढ़ता से पालना करावें तथा सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ पुलिस लाईन/थाना/यूनिट में पी. टी. परेड़ में सम्मिलित होकर आदर्श प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त अधिकारी विशेषकर संचित निरीक्षक/सूबेदार एडज्यूटेंट/सहायक निदेशक आउट डोर आदि अधिकारीगण स्वयं यह सुनिश्चित करें कि जिन पुलिस कर्मियों के परेड़ व टर्न आउट का स्तर अच्छा नहीं है उनमें सुधार लाने के लिये अथक प्रयास किये जावें तथा कमजोर कर्मियों को पृथक से अतिरिक्त पी.टी. परेड़ कराई जावे ।

पुलिस कर्मियों में शारीरिक दक्षता, कार्य परिकुशलता, अनुशासन एवं अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये पी.टी. परेड़ के साथ-साथ पुलिस लाईन/यूनिटों एवं थानों में उपलब्ध स्थानीय सुविधानुसार खेलकूद इत्यादि का भी नियमित अभ्यास किया जाना चाहिये । इससे पुलिस कर्मियों में शारीरिक दक्षता के साथ-साथ खेल भावना, टीम-भावना एवं अन्य गुणों का नैसर्गिक विकास होगा जो पुलिस संगठन के लिये बहुत आवश्यक है ।

प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को पी.टी. एवं परेड़ के बाद सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेन्ट एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अर्दली-रूम, सम्पर्क सभा इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिये जिससे दुराचारी कर्मियों पर अंकुश लगाया जा सके तथा अन्य कर्मियों को अनुशासन एवं अच्छे स्वास्थ्य के बारे में उचित जानकारी दी जा सके ।

सभी पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेन्ट्स परेड सम्बन्धी तालिका प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा को भेजेंगे तथा भविष्य में इस तालिका के साथ पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट द्वारा पी.टी. परेड़ में सुधार लाने के लिये उनके द्वारा की गई कार्यवाही व पी.टी. परेड़ में सम्मिलित नहीं होने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही तथा आयोजित किये गये अर्दली रूम/सम्पर्क सभाओं सम्बन्धी सूचना तथा उनके द्वारा स्वयं पी.टी. परेड़ में सम्मिलित होने वाले दिनों की संख्या का गोशवारा / विवरण भी नियमित रूप से भेजा जावे ।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है ।

1- महानिदेशक पुलिस,कारागार/नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा/प्रशासन राज.,जयपुर ।
2- समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राज., जयपुर ।
3- समस्त महानिरीक्षक पुलिस मय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ।
4- निदेशक पुलिस दूरसंचार/एस.सी.आर.बी./एफ.एस.एल. राज.,जयपुर ।
5- समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
6- समस्त सहायक महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
7- समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी.अजमेर/जोधपुर, प्रधानाचार्य आर.पी.टी.सी. जोधपुर ।
8- पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय राज., जयपुर ।
9- समस्त कमाण्डेन्ट्स आरएसी मय आई.आर. बटालियन / पी.टी.एस. किशनगढ़/ पी.टी.एस. जोधपुर/एम.बी.सी. खेरवाड़ा/एस.टी.एस. ।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर